जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 06.06.2024

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3302 द्वारा दो पक्षों में मारपीट/विवाद में घायल 3 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 3302 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत चपरा मशरफी, से इवेन्ट संख्या 47962 से कालर द्वारा दो पक्षो में मारपीट / विवाद होने से 03 व्यक्तियों (शिवचन्द पुत्र रामफेर, 2.कुसुम पत्नी नन्देश्वर, 3. ज्ञान्ती पत्नी रंगीलाल निवासी चपरा मशरफी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुई महिला को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।
***पीआरवी स्टाफ-* आ0 अंजेश चौहान, , हो0चा0 धर्मेन्द कुमार ।**

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 58 वाहनों से 80500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 06.06.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 58 वाहनों से 80500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 06.06.2024

आगामी त्योहार बकरीद को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत थाना महुली पर आयोजित की गई पीस कमेटी की मीटिंग, लोगों से आपसी सौहार्द व भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की गयी अपील

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आगामी त्योहार बकरीद को सकुशल संपन्न कराने, सुरक्षा व कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने तथा शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 06.06.2024 को क्षेत्राधिकारी महोदय धनघटा *श्री अजय सिंह* की अध्यक्षता में प्रभरी निरीक्षक थाना महुली *श्री सतीश सिंह* के नेतृत्व में पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के दौरान उपस्थित लोगों से त्योहार के दौरान आने वाली समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये, साथ ही मीटिंग में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों व समाजसेवियों से अपील की गयी कि सभी लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखें, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों/असामाजिक तत्वों/किसी भी प्रकार की आपराधिक अवांछित गतिविधियां दिखाई देने पर इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें बल्कि अफवाह की पुष्टि उच्चाधिकारियों से करें तथा जिले में सौहार्दपूर्ण वातावरण का माहौल बनाये रखने में पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें साथ ही सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट न करें जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों तथा किसी भी प्रकार की भड़काऊ/गलत/अशोभनीय पोस्ट शेयर न करें, लोगों से शांति व आपसी सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने की अपील की गई तथा त्यौहार के दौरान गड़बड़ी पैदा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हेतु सख्त हिदायत दिया गया।

प्रेस विज्ञप्ति   दिनॉक 06.06.2024   *जनपद – संतकबीरनगर

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में वांछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक थाना महुली ***श्री सतीश सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0स0 240/2024 धारा 306 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्ता नाम पता रितू गुप्ता पत्नी स्व0 मनीचन्द निवासी भगवानपुर पश्चिमि थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को ग्राम भगवानपुर पश्चिमि से गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि वादी हरिराम गुप्ता पुत्र स्व0 मोती निवासी भगवानपुर पश्चिमि थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के पुत्र मृतक मनीचन्द को उक्त अभियुक्ता द्वारा आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेषित किया गया जिससे उन्होंने दिनांक 05.06.2024 को छत के कुंडी में रस्सी के सहारे फासी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया गया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी (मृतक के पिता) द्वारा थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त घटना में वांछित अभियुक्ता को आज दिनांक 06.06.2024 मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री पवन कुमार शुक्ला, का0 बब्बल यादव, म0का0 पुजा चौहान।

प्रेस विज्ञप्ति   दिनॉक 06.06.2024   *जनपद – संतकबीरनगर

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के नेतृत्व में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद ***श्री रामकृपाल सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 1138/2023 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त अरशद पुत्र मो0 अफजल उर्फ मदारी निवासी मोहम्मदपुर कठार थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगरनगर को इस्लामनगर मगहर रेलवे अण्डरपास के पास से गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण*–**

अरशद पुत्र मो0 अफजल उर्फ मदारी निवासी मोहम्मदपुर कठार थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगरनगर।

विवरण-विदित हो कि दिनांक 27.11.2023 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अदद बैट्री व 01 एक अदद स्कूटी(रजि0 नं0 यूपी 58 पी 1894) के साथ 02 अभियुक्तगणों 01. कन्हैया उर्फ कन्हई हरिजन पुत्र श्री राम 2- आशीष गुप्ता उर्फ गचई S/O श्रीराम गुप्ता निवासीगण काजीपुर तेली टोला मगहर थाना को0 खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया था। अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ में बताया गया था कि अरशद पुत्र मो0 अफजल उर्फ मदारी निवासी मोहम्मदपुर कठार थाना कोतवाली खलीलाबाद के साथ मिलकर कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - उ0नि0 श्री राजीव सिंह, हे0का0 प्रदीप सिंह, हे0का0 रविशंकर श्रीवास्तव, का0 गिरिजेश मद्धेशिया, का0 रमेश यादव।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06.06.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दुष्कर्म के मामलें में 01 अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 50,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन शिकंजा"*** अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 06.06.2024 को ***न्यायालय – ASJ/FTC-2 , जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना धनघटा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 820/2021 धारा 376/506 भा0द0वि0 एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता धर्मवीर पुत्र जयराम निवासी गइसरपार मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर को धारा 376 भा0द0वि0 के आरोप में दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 40,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व धारा 506 भा0द0वि0 के अन्तर्गत 02 का सादा कारावास एवं 1000 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06.06.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामलें में 01 अभियुक्त को 06 माह की सदाचरण की परिवीक्षा व 20,000 रु0 व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू के दण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे ***"ऑपरेशन शिकंजा"*** अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 06.06.2024 को ***न्यायालय – अपर सत्र न्यायाधीश / एफ0टी0सी0-02 , जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना धनघटा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 328/18 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता दीपक गौड़ पुत्र प्रेमचन्द निवासी औराड़ाड थाना धनघटा जनपद सन्तकबीर नगर को धारा 323 भा0द0वि0 के आरोप में दोषसिद्ध करते हुए 06 माह के सदाचरण की परिवीक्षा व 20,000 रु0 के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान राशि के 02 प्रतिभू पर छोड़ा गया ।